तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए

T.I. प्र.सं. 79/2018

6-18 पत्रावली सहायक कलेक्टर लोक अदालत कैम्प कोर्ट सीकर के द्वारा 2018 रिलीफोली में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि मौजा गोन्दा तहसील डूडू की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी सान्दिपा की भूमि ख.नं. 632 रकबा 0.24 है। भूमि का अधिग्रहण [illegible] किया गया है। प्रार्थी [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आबादी निषेधाज्ञा की भूमि माफी सान्दिपा की भूमि होने के कारण अस्वीकार किया जाना न्यायोचित रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आबादी निषेधाज्ञा में प्रयोजनहीन है, सुविधा का संतुलन तथा अग्रिमीपरक सिद्धान्त प्रार्थी के अनुरूप अप्रार्थी पक्ष के पक्ष में जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आबादी निषेधाज्ञा खारिज किया जाकर प्रकरण की लम्बी सुनवाई होने तक बने रहते तथा बाद तकमील प्रश्नोत्तर लेख मंजूर है एवं मूल वाद के संबंध में निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रिलीफोली के समक्ष आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा